भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
7वां तल, मयूर भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

परिपत्र

परिपत्र सं. आई.बी.बी.आई./सी.आई.आर.पी./86/2025 **14 जुलाई, 2025**

सेवा में,

समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक,
समस्त मान्यताप्राप्त दिवाला व्यावसायिक संस्थाएं
समस्त रजिस्ट्रीकृत दिवाला व्यावसायिक एजेंसी
(रजिस्ट्रीकृत ईमेल पतों पर मेल द्वारा और आई.बी.बी.आई. की वैबसाइट पर)

विषयः आई.बी.सी. प्रक्रियाओं के अधीन असाइनमेंट के लिए प्ररूप आई.पी.-1 का प्रत्याहरण

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड(आई.बी.बी.आई.) ने परिपत्र सं. आई.बी.बी.आई./सी.आई.आर.पी./023/2019, तारीख 14 अगस्त, 2019 द्वारा असाइनमेंट को मानिटर करने के उद्देश्य से दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन विभिन्न असाइनमेंटों की बाबत, जैसे अंतरिम समाधान व्यावसायिक(आई.आर.पी.), समाधान व्यावसायिक(आर.पी.), समापक, शोधन अक्षमता न्यासी आदि के रूप में, समाधान व्यावसायिकों(आई.पी.) द्वारा फाइल किए जाने के लिए प्ररूप आई.पी.1 प्रारंभ किया था ।

2. तत्पश्चात्, बोर्ड ने तारीख 11 फरवरी, 2025 के परिपत्र सं. आई.बी.बी.आई/समापन/82/2025 के माध्यम से आई.पी. को आदिष्ट किया कि वे विभिन्न प्रक्रियाओं, अर्थात्, सी.आई.आर.पी., समापन, स्वैच्छिक समापन, व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए दिवाला समाधान, व्यक्तिगत प्रत्याभूतिदाताओं के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया और वित्तीय सेवा प्रदाताओं के लिए कार्यवाहियों के अधीन असाइनमेंट माड्यूल के माध्यम से आई.बी.बी.आई. के इलैक्ट्रानिक पोर्टल पर अपनी नियुक्तियों को रिपोर्ट करें ।

3. इसके अतिरिक्त, तारीख 26 मई, 2025 के परिपत्र सं. आई.बी.बी.आई./सी.आई.आर.पी./85/2025 द्वारा कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया(सी.आई.आर.पी.) के लिए तारीख 1 जून, 2025 से प्ररूप आई.पी.–1 और सी.आई.आर.पी. प्ररूप 1 से 8 को प्रभावी रूप से प्रतिस्थापित करते हुए एक पुनरीक्षित प्ररूप ढांचा (सी.पी.-1 से सी.पी.-5) पुरःस्थापित किया गया था ।

4. उपरोक्त दृष्टि में, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन सभी प्रक्रियाओं के संबपंध में प्ररूप आई.पी.1 प्रस्तुत करने की अपेक्षा का इस परिपत्र के जारी किए जाने की तारीख से प्रत्याहरण किया जाता है ।

5. यह परिपत्र दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 196 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है ।

भवदीय

हस्ता.

राजेश तिवारी

महा-प्रबपंधक